



प्रेस विज्ञप्ति

08/05/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नई दिल्ली द्वारा 7 और 8 मई 2024 को नेपाल के धन शोधन अन्वेषण विभाग (डीएमएलआई) के महानिदेशक श्री पुष्प राज शाही के नेतृत्व वाली नेपाल के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई। यह भारत और नेपाल की धन-शोधन निवारण की दोनों एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर की पहली बैठक थी। इस दो दिवसीय बैठक का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच धन-शोधन और परिसंपत्ति वसूली के क्षेत्रों में आपसी सहयोग विकसित करना और क्षमता निर्माण को मजबूत करना था।

बैठक की अध्यक्षता निदेशक (प्रभारी), प्रवर्तन निदेशालय ने की, जिसमें ईडी, धन शोधन अन्वेषण विभाग के अधिकारी और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास और विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के एक-एक प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने संबंधित धन-शोधन निवारण कानूनों का अवलोकन प्रस्तुत किया और धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के खतरे से निपटने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने मामलों का अध्ययन प्रस्तुत किया और धन-शोधन योजनाओं के सामान्य तौर-तरीकों पर चर्चा की। ईडी ने धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच के दौरान उपयोग किए जाने वाले जांच के विभिन्न उपकरणों, विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर और फोरेंसिक टूल/उपकरणों के बारे में विस्तार से बताया।

इसके अलावा, इस तथ्य पर जोर दिया गया कि धन-शोधन एक वैश्विक समस्या है जो न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता, पारदर्शिता और दक्षता से भी समझौता करती है, जिससे आर्थिक समृद्धि कमजोर होती है। इसलिए, दोनों पक्षों ने भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा के माध्यम से धन-शोधन के जोखिमों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। दोनों देश सूचना साझाकरण और समन्वय में वृद्धि के माध्यम से धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों में

सहयोग को मजबूत करना जारी रखने पर सहमत हुए, जिसमें जब भी आवश्यक हो, धन-शोधन निवारण (एमएल)/आतंक वित्तपोषण (टीएफ) जांच के लिए साक्ष्य और सूचना का शीघ्र साझाकरण शामिल है। दोनों पक्ष वित्तीय अपराधों से लड़ने के महत्व और वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग की रक्षा के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने वित्तीय अपराधों से लड़ने के महत्व और वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग की रक्षा के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमति जताई।

इसके अलावा, डीएमएलआई ने ईडी की तरह ही फोरेंसिक लैब स्थापित करने और डीएमएलआई अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए ईडी से सहायता का अनुरोध किया। ईडी ने इसके लिए और मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति वसूली के क्षेत्रों में अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से एजेंसी से एजेंसी सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। एक कदम आगे बढ़ते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए ईडी और डीएमएलआई के बीच एक मसौदा समझौता ज्ञापन पर चर्चा की गई, जिसपर संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद यथासमय हस्ताक्षर किए जाएंगे।

बैठक निदेशक(प्रभारी), ईडी और महानिदेशक, धन शोधन अन्वेषण विभाग के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ संपन्न हुई।